भारत संघ

बनाम

यास्मीन मोहम्मद ज़ाहिद @यास्मीन (2019 की आपराधिक अपील No.1199)।

/

अगस्त 02,2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:

धारा 120 बी और 125 और एसएस।38, 39 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के 40-मुकदमे/विशेष अदालत द्वारा-एक मामले अंतर्गत तीन साल आर. आई. और चार मामलों अंतर्गत सात साल आर. आई. की सजा-उच्च न्यायालय ने आरोपी यू/एस. को बरी कर दिया।125 भारतीय दंड संहिता सी. और एस.39 और अधिनियम के 40-यू/एस के तहत दोषसिद्धि।120 बी भारतीय दंड संहिता सी. और एस.38 सजा को घटाकर क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष करते हुए अधिनियम की धारा को बरकरार रखा गया-बरी करने के आदेश और सजा में कमी को चुनौती देने वाली राज्य की अपील-दोषसिद्धि आदेश को चुनौती देने वाले अभियुक्त द्वारा अपील-आयोजितःअभिलेख पर साक्ष्य मेन्स रिया के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं और इसलिए यू/एस को दोषी ठहराते हैं।120 बी भारतीय दंड संहिता सी. और एस.38 अधिनियम का सही था-लेकिन अपराध यू/एस. एस.125 भारतीय दंड संहिता सी. और एस.39 और अधिनियम के 40 को नहीं बनाया गया है, इसलिए इसके तहत बरी होने की पुष्टि की गई है-हालांकि, सहानुभूति के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा सजा में कमी पोषणीय नहीं है-इसलिए, निचली अदालत द्वारा लगाई गई तीन साल और सात साल की सजा को बहाल किया जाता है।

/

/

/

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967:

धारा 38 और 39-का दायरा-आयोजितःएस. एस. का दायरा।38 और 39 और उनके संचालन के क्षेत्र अलग-अलग हैं-एस की जांच पर।38,एस. 39 अनावश्यक नहीं हो जाता है।

/

आंशिक रूप से राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए और अभियुक्त की अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :1 अभिलेख पर साक्ष्य, यह स्थापित करता है कि ए 1 आईएस की विचारधारा का प्रचार कर रहा था और अन्य बातों के अलावा, गैर-मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की वकालत कर रहा था; कि कक्षाओं में ए 2 (अपीलकर्ता-आरोपी) ने भाग लिया था कि इस तरह के भाषणों से संबंधित वीडियो उसके व्यक्ति पर पाए गए थे जब उसे गिरफ्तार किया गया था; और यह कि वह अफगानिस्तान जाने का प्रयास कर रही थी।

/

/

996 ए.

997

भारत संघ बनाम यास्मीन मोहम्मद ज़ाहिद @यास्मीन ए

ए 1।ये विशेषताएं निश्चित रूप से मेन्स रिया के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं।इसलिए नीचे दी गई अदालतें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 38 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में ए 2 के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने में बिल्कुल सही थीं।[पैरा 15] [1003-G-H; 1004-A-B]

2. जहां तक भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 125 के अंतर्गत अपराध का संबंध है, उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि यह साबित करने के लिए सबूत थे कि ए 2 ने मूल अभियुक्त संख्या 1 द्वारा आई. एस. आई. एस. की विचारधारा का प्रचार करने वाले जिहाद के वर्गों में भाग लिया था, लेकिन इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं था कि उसने युद्ध छेड़ने के लिए कोई कदम उठाया था या भारत सरकार के साथ गठबंधन में या शांति से किसी भी एशियाई शक्ति के खिलाफ ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयास किया था या उकसाया था और इस तरह भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 125 के अंतर्गत आरोप को बनाए रखने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। [पैरा 6 और 7] [1001-बी-सी]

/

/

3. अधिनियम की धारा **39** और **40** में कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिनके संबंध में अभिलेख पर कोई भौतिक साक्ष्य नहीं है।अधिनियम की धारा **39** को आकर्षित करने के लिए**,** एक आतंकवादी संगठन को समर्थन तीन खंडों में से किसी एक के अर्थ के भीतर होना चाहिए अर्थात उप धारा **(1)** के खंड **(**ए**), (**बी**)** और **(**सी**)**।इसी तरह**,** धारा **40** में कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिनकी संतुष्टि पर किसी व्यक्ति को आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का दोषी कहा जा सकता है।**A2** के विपरीत इनमें से कोई भी विशेषता स्थापित नहीं की गई है।इसलिए धारा **39** और **40** के अंतर्गत आरोपों के संबंध में बरी होने का फैसला उच्च न्यायालय द्वारा सही तरीके से दर्ज किया गया था।**[**पैरा **16] [1004-**डी-ई**]**

/

/

4. उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि "यदि कोई व्यक्ति धारा **38** के अंतर्गत दंडनीय है**,** तो धारा **39** अनावश्यक हो जाती है।"इन दोनों खंडों का दायरा और उनके संचालन के क्षेत्र अलग-अलग हैं।एक अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से एक आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ाव से संबंधित है जबकि दूसरा आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन जुटाने से संबंधित है**,** जो धन प्रदान करने तक सीमित नहीं है**;** या बैठकों की व्यवस्था या प्रबंधन में सहायता करना**;** या आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए एक बैठक को संबोधित करना। **[**पैरा **17] [1005-**एफ-जी**]**

/

/

5. सजा को कम करते समय उच्च न्यायालय के साथ सहानुभूति ही एकमात्र आधार था।अपीलार्थी-अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय भी**,** अफगानिस्तान के लिए रवाना होने के दौरान**,** उसके व्यक्ति के पास कुछ आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी।की तीव्रता

/

उनकी भागीदारी और भागीदारी स्पष्ट रूप से बनाई गई थी।इन परिस्थितियों में**,** सहानुभूतिपूर्ण विचारों को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं थी।निचली विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा की मात्रा बिल्कुल सही और पर्याप्त थी।**[**पैरा **19] [1004-**एच**; 1005-**ए**]**

केरल राज्य बनाम रानेफ (2011) 1 एस. सी. सी. 784:[2011] 1 एससीआर 590-विशिष्ट।

/

अरूप भुइयां बनाम असम राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 377:[2011] 2 एस. सी. आर. 506-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

/

[2011] 1 एस**.** सी**.** आर**. 590** विशिष्ट पैरा **12 [2011] 2** एस**.** सी**.** आर**. 506** पैरा **14** में संदर्भित

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2019 की आपराधिक अपील No.1199

/

सी. आर. एल. में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.10.2018 के निर्णय और आदेश से। 2013 का ए. सं. 506

सह

2019 की आपराधिक अपील संख्या 1200।

शैलेश मडियाल, बी. वी. बलराम दास, संतोष कृष्णन, जुल्फिकार अली पी. एस., फैसल एम. अबूबकर, सुश्री लक्ष्मी श्री पुथेनपुरक्कल, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**,** जे।

/

1. अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी गई।

2. केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की आपराधिक अपील में पारित किए गए निर्णय और आदेश ने इन दो अपीलों को जन्म दिया है, एक भारत संघ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 125 ("भारतीय दंड संहिता सी".), गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यू. ए. पी. ए.) की धारा 39 और 40 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में ए. 2-यास्मीन मोहम्मद ज़ाहिद उर्फ यास्मीन को बरी करने के खिलाफ और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और यू. ए. पी. ए. की धारा 38 के अंतर्गत अपराधों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित सजा में कमी के खिलाफ, जबकि कहा गया कि ए. 2-यास्मीन भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और यू. पी. ए. की धारा 38 के अंतर्गत अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील कर रही है।

/

/

भारत संघ बनाम यास्मीन मोहम्मद ज़ाहिद @यास्मीन [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

/

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार थाः

(क) कासरगोड के चंदेरा पुलिस स्टेशन में आई. डी. 1 पर प्राप्त शिकायत के अनुसार प्रारंभिक जांच की गई जिसमें पता चला कि 14 लोग इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आई. एस. आई. एस.) में शामिल होने के लिए भारत छोड़ गए थे, जिसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है (यू. ए. पी. ए. की पहली अनुसूची में सीरियल आई. डी. 2)।

/

(ख) जाँच के दौरान, ए 2-यास्मीन को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 01.08.2016 पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह अपने बच्चे के साथ अफगानिस्तान की यात्रा करने का प्रयास कर रही थी।(ग) अभियोजन पक्ष के अनुसार, मूल आरोपी नंबर 1 (ए 2-यास्मीन का पति) और ए 2-यास्मीन के बीच 2015 से एक आपराधिक साजिश थी, जिसके अनुसार ए 1 और ए 3 से ए 15 की साजिश भारत छोड़कर अफगानिस्तान में आईएसआईएस में शामिल हो गई; और ए 2-यास्मीन आईएसआईएस की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाली एक सक्रिय प्रतिभागी थी; और उसने आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए धन जुटाया था और धन प्राप्त किया था जिसका उपयोग आईएसआईएस की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किया गया था।

/

/

4. आरोप-पत्र में नामित 15 अभियुक्तों में से अन्य सभी अभियुक्तों को फरार घोषित कर दिया गया था और अकेले ए 2-यास्मीन को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 125 और यू. ए. पी. ए. की धारा 38,39 और 40 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे के लिए भेजा गया था। उक्त अपराधों के संबंध में उसके खिलाफ आरोप विरचित किए गए थे।अभियोजन पक्ष ने 52 गवाहों से पूछताछ की और विभिन्न दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं पर भरोसा किया।जहाँ तक ए 2-यास्मीन की भूमिका का संबंध है, संबंधित गवाह पीडब्लू 4,6,7,8,11,12 और 13 थे। 5.अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एन. आई. ए. मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय , एर्नाकुलम ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने ए 2-यास्मीन के खिलाफ मामला स्थापित किया था और उसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और 125 और यू. ए. पी. ए. की धारा 38,39 और 40 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था और उसे उपरोक्त पांच मामलों के अंतर्गत क्रमशः तीन साल, सात साल, सात साल, सात साल और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।ए 2-यास्मीन को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी के अंतर्गत Rs.25,000/- की राशि का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया था, जिसमें चूक करने पर उसे तीन महीने के कठोर कारावास का सामना करने का निर्देश दिया गया था।

निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित 24.03.2018 का निर्णय और आदेश 2018 की आपराधिक अपील No.506 में A2-यास्मीन के कहने पर चुनौती का विषय था।

/

/

/

/

1000

/

[2019] 10 एस सी आर।

6. उच्च न्यायालय ने अपील के अंतर्गत अपने निर्णय में ए 2-यास्मीन की दोषसिद्धि और सजा को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 125, यू. ए. पी. ए. की धारा 39 और 40 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दरकिनार कर दिया, जबकि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और यू. ए. पी. ए. की धारा 38 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उसकी सजा को बरकरार रखा। हालांकि उच्च न्यायालय ने उक्त दो मामलों में मूल सजा को तीन साल और सात साल से घटाकर क्रमशः एक साल और तीन साल कर दिया।अन्य तत्व, अर्थात् जुर्माने की सजा और डिफ़ॉल्ट सजा को उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तित या संशोधित नहीं किया गया था।

/

7. अपने निर्णय के दौरान, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

/

“प्रथम अभियुक्त की कक्षा में भाग लेने वाले पीडब्लू 4, पीडब्लू 6, पीडब्लू 18 और पीडब्लू 21 के उपरोक्त साक्ष्य स्पष्ट रूप से आईएस की विचारधारा के प्रचार को साबित करते हैं। इसलिए यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि पीडब्लू 7 और पीडब्लू 8 के घर में ए 2 द्वारा भाग लिया गया और ए 1 द्वारा लिया गया वर्ग आईएस और जिहाद के संदर्भ में था, जो उनके अनुसार गैर-मुसलमानों के खिलाफ युद्ध था। अभियोजन पक्ष ने इस प्रकार साबित किया है कि 251 के साथ समाप्त होने वाला खाता सोनिया सेबेस्टियन का है जो पहले आरोपी की पत्नी है और राशि को दूसरे आरोपी द्वारा विभिन्न तिथियों पर उक्त खाते से 3.6.2016 से 22.07.2016 तक निकाल लिया गया था।तर्क यह है कि ए 1 द्वारा सोनिया सेबेस्टियन के खाते में पैसे जमा किए गए थे और सोनिया सेबेस्टियन को दिए गए ए. टी. एम. कार्ड का उपयोग ए 2 द्वारा राशि एकत्र करने के लिए किया गया था।यह कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा कि दूसरे आरोपी ने बैंक खातों से पैसे निकाले हैं।

/

/

/

दूसरे आरोपी को 1.8.2016 पर गिरफ्तार किया गया था और वह कन्नूर महिला जेल अंतर्गत न्यायिक हिरासत अंतर्गत थी।प्रवेश के समय, उसका व्यक्तिगत सामान एक रजिस्टर में दर्ज किया गया था।इन वस्तुओं में दो आइडिया सिम कार्ड थे।P29 मजार के अनुसार PW41 द्वारा सिम कार्ड जब्त कर लिए गए थे और उन्हें MO13 और MO14 के रूप में पेश किया गया था।लेखों में एम. ओ. 15 के रूप में चिह्नित एक मेमोरी कार्ड भी था।मेमोरी कार्ड में आईएसआईएस से संबंधित रहस्योद्घाटन वीडियो और वीडियो, इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक स्टेट की महिलाओं के लिए एक संक्षिप्त गाइड अनवर अलवाकी का ऑडियो भाषण था।अभियोजन पक्ष के अनुसार यह आगे साबित हुआ कि वह पहले आरोपी के कहने पर अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रही थी।जब ये तथ्य ए

/

/

1001

भारत संघ बनाम यास्मीन मोहम्मद ज़ाहिद @यास्मीन [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

यदि यह साबित हो जाता है, तो प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध किया था। "

इन सिद्ध तथ्यों की पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने तब विचार किया कि क्या उपरोक्त पांच मामलों के अंतर्गत ए 2-यास्मीन के खिलाफ कथित अपराध बनाए गए थे।यह देखा गया कि यह साबित करने के लिए सबूत थे कि ए 2 ने मूल आरोपी नंबर 1 द्वारा आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार करने वाले जिहाद के वर्गों में भाग लिया था, लेकिन इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं था कि उसने युद्ध छेड़ने के लिए कोई कदम उठाया था या भारत सरकार के साथ गठबंधन में या शांति से किसी भी एशियाई शक्ति के खिलाफ इस तरह का युद्ध छेड़ने का प्रयास किया था या उकसाया था और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आरोप को बनाए रखने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। यू. ए. पी. ए. की धारा 38 के अंतर्गत आरोप के संबंध में यह निम्नानुसार देखा गयाः

/

/

“यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि दूसरा आरोपी ए 1 से जुड़ा था जिसने आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार किया था और उसके साथ शामिल होने तक भी गया था।अफगानिस्तान की ओर बढ़ने का उसका प्रयास पहले आरोपी से मिलने और आईएस से संबंधित गतिविधियों में शामिल होने के स्पष्ट इरादे से था।इसलिए वह धारा 38 (2) के अंतर्गत दंडनीय है। "

/

8. यू. ए. पी. ए. की धारा 39 के अंतर्गत आरोप के संबंध में उच्च न्यायालय ने पाया कि हालांकि ए 2 निश्चित रूप से ए 1 द्वारा प्रतिपादित विचारधारा से प्रभावित था, लेकिन उसने स्वयं धारा 39 के खंड (ए) से (सी) के अंतर्गत आने वाले किसी भी अधिनियम की व्यवस्था नहीं की थी।उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

/

"वह पहले से ही अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत विचार किए गए संगठन की सदस्य बन चुकी थीं। यदि कोई व्यक्ति धारा 38 के अंतर्गत दंडनीय है, तो धारा 39 अनावश्यक हो जाती है। "9. यू. ए. पी. ए. की धारा 40 के अंतर्गत आरोप के संबंध में, उच्च न्यायालय ने पाया कि वह आतंकवादी संगठन के लिए कोई धन नहीं जुटा रही थी; उसे प्राप्त राशि व्यक्तिगत उपयोग और यात्रा के लिए टिकट खरीदने और अपने और अपने बेटे के लिए अन्य व्यवस्थाओं के लिए थी और यू. ए. पी. ए. की धारा 40 के अंतर्गत इस तरह के आरोप नहीं बनाए गए थे।10. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि ए 2-यास्मीन भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और यू. ए. पी. ए. की धारा 38 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का दोषी था, उच्च न्यायालय ने मामले पर नरमी से विचार किया और इन दोनों अपराधों के संबंध में मूल सजा को कम कर दिया जैसा कि ऊपर कहा गया है।

/

/

/

11. इन अपीलों में हमने भारत संघ के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज और ए 2-यास्मीन के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कृष्णन को सुना।विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री ने ए 2-यास्मीन द्वारा निभाई गई भूमिका को किसी भी संदेह से परे स्थापित किया और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 125 और यू. ए. पी. ए. की धारा 39 और 40 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में उसे बरी करना गलत था और किसी भी मामले में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और यू. ए. पी. ए. की धारा 38 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में मूल सजा को कम करने का कोई कारण नहीं था। ए 2-यास्मीन के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कृष्णन ने न केवल भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 125 और यू. ए. पी. ए. की धारा 39 और 40 के अंतर्गत बरी होने के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया, बल्कि प्रस्तुत किया कि ए 2 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और यू. ए. पी. ए.

की धारा 38 के संबंध में भी बरी होने के योग्य है। अरूप भुइयां बनाम असम राज्य 1 और केरल राज्य बनाम रानीफ 2 में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि यू. ए. पी. ए. की धारा 38 के अंतर्गत अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को आकर्षित होने के लिए आवश्यक पुरुष कारण स्थापित करना चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि यू. ए. पी. ए. की धारा 39 और 40 को आकर्षित करने के लिए ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो यह दर्शाती हो कि प्रश्न कार्य अभियुक्त द्वारा एक आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए किए गए थे।

/

/

/

12. केरल राज्य बनाम रानीफ 2 में, एक दंत चिकित्सक पर एक घायल आरोपी को चिकित्सा सहायता देने का आरोप लगाया गया था और यह मामला उक्त दंत चिकित्सक को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न हुआ था।उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए, यह कहा गया था,

/

“7. इस स्तर पर हम इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि अभियोजन या बचाव पक्ष के संस्करणों में आरोप सही हैं या नहीं, क्योंकि सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं।हालाँकि, हम कुछ टिप्पणियाँ करना चाहेंगे।

/

8. हम वर्तमान में केवल जमानत के मामले पर विचार कर रहे हैं और यह तय नहीं कर रहे हैं कि प्रतिवादी दोषी है या नहीं।साक्ष्य का नेतृत्व किया जाना बाकी है और मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है।इसलिए अभियोजन पक्ष ने अभी तक उचित संदेह से परे सबूत द्वारा यह स्थापित नहीं किया है कि प्रतिवादी एक साजिश का हिस्सा था जिसके कारण प्रो.जेकब।प्रतिवादी के खिलाफ मामला कथित हमलावरों के खिलाफ मामले से बहुत अलग है।ऐसा कोई आरोप नहीं है कि प्रतिवादी हमलावरों में से एक था।हमारा मानना है कि

/

1 (2011) 3 एससीसी 377 2 (2011) 1 एससीसी 784 ए

/

कि इस स्तर पर कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है कि प्रतिवादी अपराध में शामिल था।इसलिए, धारा 43-डी (5) के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।

9. प्रतिवादी, एक डॉक्टर होने के नाते, एक रोगी को ठीक करने का प्रयास करने के लिए हिप्पोक्रेटिक शपथ के अंतर्गत था।जिस तरह एक वकील का कर्तव्य है कि वह किसी आरोपी का बचाव करे, उसी तरह डॉक्टर का भी कर्तव्य है कि वह उसे ठीक करे।यहाँ तक कि एक दंत चिकित्सक भी आपात स्थिति में टांके लगा सकता है।प्रथम दृष्टया हमारी राय है कि प्रतिवादी के खिलाफ एकमात्र अपराध जो लगाया जा सकता है वह यह है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 202 के अंतर्गत , यानी पुलिस को अपराध की जानकारी देने से बचना, और इस अपराध को भी उचित संदेह से परे साबित करना होगा।धारा 202 एक जमानती अपराध है। "

/

/

13. श्री कृष्णन ने हालांकि उक्त निर्णय में कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए कहा कि केवल एक गैरकानूनी संगठन की सदस्यता पर्याप्त नहीं थी और इस बात का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि आरोपी का इरादा हिंसा का सहारा लेकर संगठन के उद्देश्यों को पूरा करना था।वे टिप्पणियां मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहाई के आदेश के संदर्भ में मामले पर विचार करते हुए की गई थीं जो निर्णय के पैराग्राफ 10 और 15 से स्पष्ट है।

/

14.अरूप भुइयां बनाम असम राज्य 1 के मामले में, संबंधित अभियुक्त के खिलाफ एकमात्र सामग्री पुलिस के समक्ष उसका इकबालिया बयान था जिसमें उसने मृतक के घर की पहचान की थी और यह देखा गया थाः- “7. तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपीलार्थी के कथित इकबालिया बयान पर निर्भर करता है, जो एक गैर-न्यायिक इकबालिया बयान है और पुष्टि करने वाली सामग्री का अभाव है।इसलिए, हमारी राय है कि कथित इकबालिया बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा। "

/

/

निर्णय के बाद के भाग, जिसमें केरल राज्य बनाम रानीफ 2 में पहले के निर्णय पर विचार किया गया था, पर श्री कृष्णन ने भरोसा किया था।

/

15. अभिलेख पर साक्ष्य, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उद्धृत टिप्पणियों में लिया गया है, यह स्थापित करता है कि ए 1 आईएस की विचारधारा का प्रचार कर रहा था और अन्य बातों के अलावा, गैर-मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की वकालत कर रहा था; कि कक्षाओं में ए 2-यास्मीन ने भाग लिया था; कि वीडियो

/

1004

/

[2019] 10 एस सी आर।

इस तरह के भाषणों से संबंधित उनके व्यक्ति पर पाया गया जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था; और यह कि वह ए 1 के कहने पर अफगानिस्तान जाने का प्रयास कर रही थी।ये विशेषताएं निश्चित रूप से पुरुषों के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं।इसलिए नीचे दिए गए न्यायालय भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और यू. ए. पी. ए. की धारा 38 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में ए 2 के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने में बिल्कुल सही थे। इसलिए, श्री कृष्णन द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ए 2-यास्मीन द्वारा दायर अपील को विफल होना चाहिए।16. अब हम यह देखने के लिए संघ द्वारा की गई अपील की ओर रुख करते हैं कि क्या भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 125 और यू. ए. पी. ए. की धारा 39 और 40 के अंतर्गत अपराधों के लिए ए 2 को बरी करना उचित था।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 125 के अंतर्गत अपराध के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा मामले की उचित सराहना की गई थी और हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

/

/

यू. ए. पी. ए. की धारा 39 और 40 पर आते हुए, इन प्रावधानों के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिनके संबंध में अभिलेख पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।यू. ए. पी. ए. की धारा 39 को आकर्षित करने के लिए, एक आतंकवादी संगठन को समर्थन उप धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) जैसे तीन खंडों में से किसी एक के अर्थ के भीतर होना चाहिए।इसी तरह, धारा 40 में कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिनकी संतुष्टि पर किसी व्यक्ति को आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का दोषी कहा जा सकता है।इनमें से कोई भी विशेषता ए 2-यास्मीन के विपरीत स्थापित नहीं है।इसलिए धारा 39 और 40 के अंतर्गत आरोपों के संबंध में बरी होने का फैसला उच्च न्यायालय द्वारा सही तरीके से दर्ज किया गया था।

/

/

17.हालाँकि, हमें यह कहना चाहिए कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि "यदि कोई व्यक्ति धारा 38 के अंतर्गत दंडनीय है, तो धारा 39 अनावश्यक हो जाती है।"हमारे विचार में, इन दोनों धाराओं का दायरा और उनके संचालन के क्षेत्र अलग-अलग हैं।एक अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से एक आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ाव से संबंधित है जबकि दूसरा

आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन जुटाने से संबंधित है, जो धन प्रदान करने तक सीमित नहीं है; या बैठकों की व्यवस्था या प्रबंधन में सहायता करना; या आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए एक बैठक को संबोधित करना।

/

/

18. अंत में, हम उन अपराधों के संबंध में सजा की मात्रा पर आते हैं जहां ए 2-यास्मीन को दोनों न्यायालयों द्वारा दोषी पाया गया है।19. सजा को कम करते समय उच्च न्यायालय के साथ सहानुभूति ही एकमात्र आधार था।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री ए 2-यास्मीन द्वारा निभाई गई भूमिका को इंगित करती है।उसकी गिरफ्तारी के समय भी, जबकि ए

/

अफगानिस्तान के लिए रवाना होने पर, उसके व्यक्ति के पास कुछ आपत्तिजनक सामग्री पाई गई। उनकी भागीदारी और भागीदारी की तीव्रता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था।इन परिस्थितियों में, सहानुभूतिपूर्ण विचारों को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं थी।निचली विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा की मात्रा बिल्कुल सही और पर्याप्त थी।

20. परिसर में,

/

ए 2-यास्मीन द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और यू. ए. पी. ए. की धारा 38 के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी जाती है।

बी] भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 125 और यू. ए. पी. ए. की धारा 39 और 40 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में ए 2-यास्मीन के बरी होने को चुनौती देने वाली संघ द्वारा दायर अपील खारिज कर दी जाती है।

/

ग] भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी और यू. ए. पी. ए. की धारा 38 के अंतर्गत अपराधों के लिए ए 2-यास्मीन को दी गई सजा में कमी के संबंध में संघ द्वारा की गई अपील की अनुज्ञात है। उस ओर से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और ए 2 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और यूएपीए की धारा 38 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में निचली विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बहाल कर दिया जाता है।

/

21. उपरोक्त शर्तों में अपीलों का निपटारा किया जाता है।

/

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

/

/